प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 समय–समय पर संशोधित, की धारा 19(ए) के अंतर्गत, मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है।

यह प्रतिवेदन राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप और अनुपालन लेखापरीक्षाओं तथा निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों से संबंधित है।

इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण उल्लेखित हैं जो वर्ष 2022–23 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए, तथा वे भी जो पहले के वर्षो में ध्यान में आये, परन्तु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनो में शामिल नहीं किए जा सके। वर्ष 2022–23 के बाद की अवधि से संबंधित मामले को भी, आवश्यकतानुसार सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों को ध्यान में रखकर की गई है।